न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
110/प्रा.पत्र/2017	10.03.2017	17.12.2019

सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली, जिला बून्दी।

– प्रार्थी

बनाम

गोपाल, देवलाल आ. छीतर जाति गुर्जर निवासी ग्राम कराड़ खेड़ी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 आवंटन दिनांक 04.03.2005 निरस्त करने बाबत्।

उपस्थित :–

प्रार्थी की ओर से – पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण की ओर से – श्री कैलाश चंद गुप्ता, अभि.।

–: निर्णय :–

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अप्रार्थीगण गोपाल, देवलाल आ. छीतर जाति गुर्जर निवासी ग्राम कराड़ खेड़ी को कृषि प्रयोजनार्थ किये गये भूमि आवंटन ख.नं. 500/148 रकबा 02 बीघा ग्राम कराड़ खेड़ी को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण व अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली तलब की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थीगण गोपाल, देवलाल आ. छीतर जाति गुर्जर को ग्राम कराड खेड़ी में ख. नं. 500/148 रकबा 02 बीघा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 04.03.2005 को आवंटन की गई थी। आवंटन के पश्चात आवंटी द्वारा आवंटन भूमि पर काश्त नहीं की गई है। आवंटन भूमि पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा काश्त है। आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ किया गया था जबकि मौके पर आवंटित भूमि पडत है तथा बम्बूल, धोवडा के पेड उगे

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

हुये है। भूमि काबिल काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण अभिभाषक ने बहस के दौरान अपने प्रस्तुत जवाब को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थीगण को ग्राम कराड खेड़ी में ख.नं. 148 में से 02 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। आवंटन से पूर्व भी अप्रार्थीगण के पिता छीतर का कब्जा काश्त करता आ रहा है। वर्तमान में अप्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त है। अप्रार्थीगण देवा, गोपाल पिसरान छीतर व रतिराम गुर्जर एक ही परिवार के सदस्य है। रतिराम गुर्जर के काका हजारी आ. जेरामा के भी भूमि ख. सं. 148 में 04 बीघा भूमि आवंटन हुई थी। हजारी लाल के कोई औलाद नहीं होने से हजारी के खाते की भूमि पर रतिराम ही काबिज है। ख. नं. 148 बडा रकबा है उसमें से ही अप्रार्थीगण व हजारी को भूमि आवंटन हुई है। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर ही बिना जांच किये ही रिपोर्ट पेश की गई है। आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त है। राजस्व नक्शे में भी तरमीम नहीं हो रही है। पटवारी हल्का ने रतिराम आ. गोपाल का कब्जा काश्त होना बताया है। जो निराधार है। रतिराम के पिता व अप्रार्थीगण के पिता आपस में भाई है। रतिराम व अप्रार्थीगण के पिता दोनो मौजूद है और शामलाती खाता है जिसका बंटवारा नहीं हुआ है। विवादित भूमि ख. नं. 148 के पडोस में ही अप्रार्थीगण के खाते की भूमि ख. नं. 149, 150 स्थित है। जो आवंटित ख. नं. 148 इसमें मिला हुआ है। अप्रार्थीगण के शामलाती खाते की अपने हिस्से की भूमि में बोरिंग लगा रखा है तथा विद्युत कनेक्शन हो रहा है। उक्त बोरिंग से आवंटित भूमि सिंचित हो रही है। अतः आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। अभिभाषक ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.डी. 2007 पेज 733, आर.बी.जे. 2002 पेज 566 की नजीरे पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण गोपाल, देवलाल आ. छीतर जाति गुर्जर निवासी को ग्राम कराड खेडी में ख. नं. 148 रकबा 02 बीघा भूमि का आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 04.03.2005 को पूर्ण कोरम में बाद जांच किया गया था। आवंटित भूमि ख. नं. 148 का आवंटन वक्त कुल रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा था जिसमें से अप्रार्थीगण को 02 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है। आवंटन आवेदन पत्र पर रिपोर्ट पटवारी के अनुसार आवंटी सम्वत् 2061 में अतिक्रमी था तथा भूमिहीन कृषक था। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज धारा 91 के नोटिस प्रकरण सं. 2686/97 प्रकरण सं. 2079/99 के अनुसार भी आवंटी आवंटित भूमि पर अतिक्रमी प्रमाणित होता है। प्रार्थी तहसीलदार ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होने, अन्य का कब्जा काश्त है लेकिन प्रार्थी तहसीलदार ने अन्य का कब्जा काश्त होने बाबत मात्र पटवारी रिपोर्ट के अलावा अन्य कोई राजस्व रेकार्ड दस्तावेज पेश नहीं किये है। जिसे आवंटी के अलावा अन्य का कब्जा काश्त साबित होता हो। अप्रार्थी ने

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

खसरा परिवर्तनशील वर्ष 1997 फसल खरीफ व धारा 91 के नोटिस पेश किये है जिसके अनुसार भी आवंटी का कब्जा काश्त साबित होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन दिनांक 04.03.2005 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 17.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)